फर्द अहकाम

रामनाथ बनाम श्योनारायण वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

संख्या 77/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया। वकील अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20/3/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
	20/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। अप्रार्थी नं 2 व 3 आज तक इनके बार-बार आवाज लगाई गई तथा इन्तजार किया लेकिन उप० नहीं। अतः अप्रार्थी नं 2 व 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्षों की बहस को मनन किया गया। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा. का. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जाता। पत्रावली में निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली कौन्सल मुकम्मल होकर नियमानुसार जमा हो तथा बाद प्रति शामिल Stat हो।	

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(1/2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

	तारीख दायर	तारीख फैसला
...नं. ...2023	12 / 06 / 2023	26 / 03 / 2024

-उनवान-

रामनाथ पुत्र मोहन
सीताराम पुत्र रामनाथ
जातियान हरियाणा ब्राहमण, निवासी ग्राम रामजीपुरावास नायला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर (राज०)।

प्रार्थीगण

बनाम

श्योनारायण पुत्र रामेश्वर
2. शंकरलाल पुत्र रामेश्वर
3. रामानन्द पुत्र रघुनाथ
जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी रामजीपुरावास नायला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज०)।
4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ (जयपुर)।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री महेश शर्मा :- वकील प्रार्थीगण।
श्री अरविन्द शर्मा :- वकील अप्रार्थी सं० 1

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

-: निर्णय :-

प्रार्थीगणों ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम रामजीपुरा नायला, पटवार क्षेत्र नायला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463 / 198 रकबा 0.2900 हैक्टेयर भूमि अनुसार स्थित है। जो कि प्रार्थीगण की राजस्व रिकार्ड में अंकितानुसार प्रार्थीगण के खातेदारी अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है, जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की सीमाओं को लेकर सीमा विवाद आये दिन होता रहता है तथा पत्थरगढ़ी करने में बाधा दखल व्यवधान होता है जो कि जिससे सीमाओं के निस्तारण करने हेतु पत्थरगढ़ी व तारबन्दी कराना आवश्यक हो चुका है। उक्त वर्णित आराजियात के चारों तरफ (दिशाओं) में अन्य पड़ोसी खातेदारान की भूमियाँ स्थित हैं जो कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की सीमाओं में मुक्कमिल सीमा निशानात नहीं है, जिससे उक्त दोनों पक्षकारों के मध्य सीमा बाबत विवाद बना रहता हैं इस कारणवश प्रार्थी के अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का पूर्व में दिनांक 19.05.2023 को सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा किया जा चुका हैं। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कुछ हिस्से पर / कुछ भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। एवं श्रीमान हल्का पटवारी द्वारा किया गया सीमाज्ञान को नहीं मानते है तथा नाजायज हैरान परेशान, अभद्रतापूर्वक अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते है एवं प्रार्थीगण व उसके परिवार के साथ मरने मारने व मारा पिटी करने पर उतारू हो जाते है एवं नाजायज कब्जाकर हैराने परेशान, अभद्रतापूर्वक गाली गलौच करते रहते है जिससे कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार अपनी खातेदारी भूमि पर जाने से सहमा-सा महसूस करती है। अतः उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463 / 198 रकबा 0.2900 हैक्टेयर के चारों तरफ (चारों दिशाओं) की

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

मुकम्मिल पत्थरगढ़ी सहित सीमाचिन्ह तथा तारबन्दी कराया जाकर मौके पर प्रार्थीगण की भूमि सीमाओं पर सीमाचिन्ह अंकित किया जावें तथा दौराने पत्थरगढ़ी एवं तारबन्दी मय पुलिस इमदाद के आदेश पारित किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से ...ी की गई। अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण संख्या 2 ...ायत 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 4 (पैरोकार सरकार) ने अपने ...ांक/रीडर/2023/309 दिनांक 25.07.23 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट में निवेदन किया कि ...ा रामजीपुरावास नायला की जमाबन्दी के खाता सं0 133 में खसरा नम्बर 197 रकबा 0.0100 ...टेयर, खसरा नम्बर 463/198 रकबा 0.2900 हैक्टेयर किस्म बारानी 2, रामनाथ पुत्र गोरधन हि0 ...9/1000 जाति हरि0 ब्राहमण सा0देह खातेदार, सीताराम पुत्र रामनाथ हि0 111/1000 जाति ...0ब्राहमण सा0देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मौके पर खसरा नम्बर 197 रकबा 0. ...00 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह मिट्टी से भरा हुआ है। मौके पर समतल हैं खसरा नम्बर 463/198 ...कबा 0.2900 हैक्टेयर बारानी 2 के मौके पर पेड पौधे एवं आवारा शुदा टीन शैड बना हुआ है एवं कोने ...पशुओं के लिए टीनशैड है तथा शेष भाग मौके पर खाली है। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता ... अरविन्द शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 22.08.23 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 ...पीसी बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु पेश किया। जिस पर वकील उभय बहस सुनी जाकर दिनांक ....08.23 को खारिज कर दिया गया। वकील अप्रार्थी सं0 1 ने पुनः दिनांक 5.9.23 को एक प्रार्थना पत्र ...न्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु पेश किया। जिस पर वकील उभय पक्षों ...ी बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी को दिनांक 12.09.23 को अस्वीकार किया गया। ...कील अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब पेश नही किया। अतः दिनांक 21.03.24 को जवाब बन्द किया गया।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में ...पलब्ध प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र ...न्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित दिया जाता है कि ग्राम ...जीपुरावास नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा ...म्बर 197 रकबा 0.0100 है0 व खसरा नम्बर 463/198 रकबा 0.2900 हैक्टेयर में यदि मौके पर फसल ...ा हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगणों एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर ...ालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी ...पडौसी खातेदार द्वारा एतराज किया जाता है तो उचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर पत्थरगढी की ...जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28/03/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ